DALIT EDUCATION

Notes

आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में दो प्रमुख प्रकार की असमानताएं बतायी हैं:-

1. शिक्षा के सब पक्षों एवं स्तरों पर बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा में व्यापक असमानता।

2. उन्नत वर्गों, पिछड़े वर्गों, अछूत जातियों पहाड़ी जातियों एवं आदिवासियों की शिक्षा में व्यापक असमानता

इन दोनों प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए "आयोग" ने 4 सुझाव दिये हैं -

(i) नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था।
(ii) शिक्षा के ~~क्षेत्रों~~ खर्चों में कमी।
(iii) छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।
(iv) छात्रवृत्तियों की योजना।

इसके अलावे माध्यमिक स्तर पर आयोग के सुझाव थे :-

- माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता स्थापित की जानी चाहिए।
- बालिकाओं, जनजातियों एवं अछूत जातियों में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष योजनाओं का

Notes

निर्माण किया जाना चाहिए।

दलित शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति :-

राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर विद्यार्थी को बिना किसी जात-पाँत, धर्म स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी शिक्षा उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दलित शिक्षा के लिए 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा क्रम के ढाँचे पर आधारित होगी।

- समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिए सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना। जिससे सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के समान अवसर मिले।
- अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा, जिससे कि वे गैर अनुसूचित जाति के लोगो के बराबर आ सकें।
- अनुसूचित जातियों से शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना।
- जिला केन्द्र पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएँ क्रमिक रूप से बढ़ाना।

- स्कूल भवनों, बालवाड़ियों और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान देना।
- अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के साधनों का उपयोग करना।
- अनुसूचित जातियों का शिक्षा की प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने हेतु लगातार नये तरीकों की खोज जारी रखना।
- शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

दलित शिक्षा एवं संवैधानिक प्रावधान
(Dalit's Education and Constitutional Provisions.)

26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारत के संविधान में वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता तथा सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया गया है। इसी के लिए संविधान में शैक्षिक समानता के लिए निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं-

Notes

- धारा 30 – इस धारा में धर्म, जाति, भाषा तथा प्रजाति की बात कही गई है। कोई भी शिक्षा संस्था, धर्म, जाति प्रजाति तथा भाषा के आधार पर प्रवेश देने से इंकार नहीं कर सकेगी।

- धारा 45 – 6-14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

- धारा 46 – अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति एवं संरक्षण।

अतः उपरोक्त आयोग एवं संवैधानिक प्रावधानों से दलितों के उत्थान के लिए नीति निर्धारण में मदद मिलेगी। साथ ही सामाजिक स्तर पर दलितों की बदहाली दूर करने में भी सहायता मिलेगी। दलितों का उत्थान केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। शिक्षा के समान अवसर, आर्थिक सुरक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, सामाजिक, साम्प्रदायिक और लिंग विभेद जैसी समस्याओं से अवगत कराने वाली शिक्षा प्रणाली को लागू करने से देश मे न केवल शिक्षा का स्तर मे सुधार आएगा, बल्कि साक्षरता दर भी बढ़ेगा।